14

उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

विविध (आपूर्ति) अपील संख्या–04/2016

रामेश्वर चौधरी बनाम राज्य एवं 01 अन्य।

आदेश

10.12.16

अपीलार्थी रामेश्वर चौधरी पिता स्व0 लच्छु चौधरी, ग्राम–हिरोडीह पंचायत, पोस्ट–हिरोडीह, थाना–जयनगर, जिला–कोडरमा द्वारा विविध (आपूर्ति) अपील दायर करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के ज्ञापांक 534/आ0 दिनांक 21.12.15 द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या–15/1986 को रद्द करने के आदेश को Set-aside करने एवं अपीलार्थी को राशन वितरित करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के ज्ञापांक 534/आ0 दिनांक 21.12.15 द्वारा कई लाभुकों को चावल, किरासन तेल नही दिये जाने, कार्ड अपने पास रख लेने, दुकान समय पर नही खोलने आदि विभिन्न अनियमितताओं के कारण श्री रामेश्वर चौधरी, जन वितरण प्रणाली, विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या–15/1986 ग्राम पंचायत–हिरोडीह की अनुज्ञप्ति रद्द की गई है।

अनुमंडल पदाधिकारी (आपूर्ति) कोडरमा के आदेश मे अंकित है कि, प्रभारी पदाधिकारी, उपायुक्त की गोपनीय शाखा, कोडरमा के पत्रांक–560/ज0शि0गो0, दिनांक 03.08.15 के द्वारा वाकर अली पिता–स्व0 नुनु मियां, ग्राम–हीरोडीह का आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ। जिसमे उल्लेखित है कि श्री रामेश्वर चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या–15/1986, ग्राम पंचायत–हीरोडीह, जिला–कोडरमा के दुकान से राशन एवं किरासन तेल मिलता था जो 2011–12 से वह राशन वगैरह नही दे रहा है। जब भी उससे मांगने जाते है वह मुझसे गाली–गलौज करता है उपर से राशन वगैरह काट दिया जाता है और कहता है कि कहां से दे, तुमको जहां जाना है जाओ मेरा कोई भी पदाधिकारी कुछ नही बिगाड़ सकता है। जिसके आलोक मे अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 18.08.15 को लगभग 3.15 बजे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जयनगर की उपस्थिति मे विक्रेता के दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान दुकान बन्द पाया गया। पुनः अधोहस्ताक्षरी के बुलाने पर दुकान को खोलवाया गया। लाभुक से वितरण से संबंधित पूछताछ की गई जिसमें से,

C.C.No 167 / 36.17

1. श्री वाकर अली पिता–स्व0 नुनु मियां, BPL कार्डधारी कार्ड संख्या–7288091 के द्वारा लिखित बयान दिया गया कि अप्रैल 2010 के बाद से विक्रेता द्वारा अनाज एवं किरासन तेल नही मिल रहा है।
2. श्री बाबुलाल मोदी पिता–स्व0 किसुन मोदी, BPL कार्डधारी कार्ड संख्या–7287203 के द्वारा भी बयान दिया है कि लगभग 09–10 महीना से विक्रेता द्वारा चावल एवं किरासन तेल नही मिल रहा है।
3. श्री रामू मोदी पिता–स्व0 छोटु मोदी, ग्राम–हीरोडीह के द्वारा बयान दिया गया कि विक्रेता कार्ड अपने पास रख लिये है।
4. श्री सुरेश मोदी पिता–नुनमन मोदी के द्वारा बयान दिया गया कि मेरे पास कार्ड नही है, कार्ड विक्रेता अपने पास रख लिये है, मै लाल कार्डधारी हूँ, अनाज नही मिलता है केवल तीन लीटर किरासन तेल प्रत्येक महीना मिलता है। कार्ड मेरे पिताजी स्व0 नुनमन मोदी के नाम से बना है।
5. श्री रामकुमार राम पिता–श्री प्रमेश्वर राम, BPL कार्डधारी के द्वारा बयान दिया गया कि मेरा कार्ड विक्रेता अपने पास रख लिये है, चार वर्षो से अनाज एवं किरासन तेल विक्रेता अपने पास रख लिये है, चार वर्षो से अनाज एवं किरासन तेल विक्रेता द्वारा नही मिल रहा है।

C.C.No 353

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–1214/गो0 दिनांक 12.08.15 के आलोक मे कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा के पत्रांक–714, दिनांक 06.08.15 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 06.08.15 को विक्रेता के दुकान का औचक निरीक्षण के दौरान दुकान बन्द पाया गया। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री [illegible] यादव पिता–स्व0 गुरूदयाल यादव को विक्रेता द्वारा राशन वितरण नही कराया जा रहा है।

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा सत्यमेव जयते

प्रखंड विकास पदाधिकारी, जयनगर के पत्रांक-944 दिनांक 19.08.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक श्री बाबूलाल मोदी पिता-स्व0 किशुन मोदी, ग्राम-हीरोडीह द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है कि आवेदक के नाम से राशन कार्ड निर्गत रहने के बावजूद भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री रामेश्वर चौधरी द्वारा उन्हें राशन आपूर्ति बन्द कर दिया गया है। उक्त अभ्यावेदन के आलोक में पंचायत सेवक श्री उपेन्द्र सिंह द्वारा स्थल जांच कराई गई। पंचायत सेवक ने अपने जांच प्रतिवेदन के संबंध में स्पष्ट किया है कि विक्रेता द्वारा उन्हें बताया गया है कि आवेदक के राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। किन्तु रद्द करने से संबंधित आदेश की कॉपी की मांग करने पर विक्रेता द्वारा किसी प्रकार का आदेश नही दिखाया गया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि आवेदक की अभियाचना उचित है।

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-1229/गो0 दिनांक 17.08.15 के आलोक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-जांच पदाधिकारी, कोडरमा का ज्ञापांक 352/भू0अ0 दिनांक 07.08.15 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जांच के क्रम में ग्रामीणों के बड़े समूह ने विक्रेता की कई गंभीर शिकायतें की है। जिसमें गंभीर प्रकृति की शिकायत यह थी कि वे दबंग व्यक्ति है तथा माह में सिर्फ 02 घंटे के लिए ही दुकान खोलते है इसके अतिरिक्त कार्डधारियों का कार्ड अपने पास ही रखते है तथा लाभुकों के द्वारा कार्ड मांगे जाने पर माले का कार्यकर्त्ता होने का विक्रेता द्वारा धौंस दिया जाता है।

अंचल अधिकारी, जयनगर के पत्रांक 466/27.10.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री रामेश्वर चौधरी, अनुज्ञप्ति संख्या-15/1986 हिरोडीह, जन वितरण प्रणाली दुकान का राशन दिनांक 18.10.15 से 16.10.15 तक वितरण किया गया जिसमें अन्त्योदय के कुल 33 लाभुकों में 16 लाभुकों द्वारा राशन का उठाव किया गया है। रामेश्वर चौधरी पिता-स्व0 लक्षु चौधरी के घर कुल 04 लाभुकों का राशन का उठाव किया गया है। वितरण के क्रम में कुछ लाभुकों के द्वारा 05 वर्षो से राशन नहीं मिलने का भी शिकायत किया गया जिसमें शकुन्तला देवी, बाबुलाल मोदी, वाकिर अली आदि का नाम है। वितरण के पश्चात 10 दिनों का अतिरिक्त समय देने के बावजुद अन्य लाभुकों द्वारा राशन का उठाव नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि शेष राशन कार्डधारी जिन्होंने राशन का उठाव नहीं किया गया, इस राशन का उठाव डीलर के द्वारा अवैध तरीके से किया जाता रहा होगा।

श्री बाबूलाल मोदी, ग्राम-हिरोडीह का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत-हिरोडीह द्वारा वार्ड सदस्य बड़की हिरोडीह केनाम से संबोधित है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि श्री महोदव चौधरी कार्ड संख्या-7287142, 2. जलील राम, कार्ड संख्या-7287181, 3. श्री करी राम, कार्ड संख्या-7287125, 4. बहादुर चौधरी, कार्ड संख्या-7287111, 5. सतन चौधरी, कार्ड संख्या-7287199, 9. बुन्दक मोदी, कार्ड संख्या-7287175, 7. सुमन चौधरी, कार्ड संख्या-7287012, 8. रामसहाय मोदी, कार्ड संख्या-7287104, 9. मदन यादव, कार्ड संख्या-7288010, 10. वन मोदी, कार्ड संख्या-72887182, 11. बबुन मोदी, कार्ड संख्या-7287187, 12. बासुदेव मोदी, कार्ड संख्या-7287133, 13. देवानन्द यादव, कार्ड संख्या-7287136, 14. रामी मोदी, कार्ड संख्या-7287126, 15. मेहनु यादव, कार्ड संख्या-7282235, 16. हिरण यादव, कार्ड संख्या-7282235, 17. ओफेल पाठक, कार्ड संख्या-7287206, 18. पुनक सिंह, कार्ड संख्या-7287249, अन्त्योदय कार्डधारी, 19. झरील यादव, कार्ड संख्या-180871, 20. बासदेव मोदी, कार्ड संख्या-180872, 21. मदातीर मोदी, कार्ड संख्या-180868, 22. सुन मोदी, कार्ड संख्या-084135, 23. जीवन महतो, कार्ड संख्या-180861, 24. जीवन यादव, कार्ड संख्या-7287105 जिसमें इन कार्डधारियों के बारे में उल्लेखित किया गया है इन कार्डधारियों का श्री रामेश्वर चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, हिरोडीह है। ये सभी कार्ड फर्जी है जिनका न तो जनगणना पंजी में और न ही बड़की हिरोडीह भोटर लिस्ट में नाम है।

उक्त आवेदन पर श्री मदन चौधरी, वार्ड सदस्य, वार्ड नं0-05, ग्राम पंचायत हिरोडीह एवं ग्राम पंचायत हिरोडीह के मुखिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री बासुदेव मोदी को छोड़कर कोई सदस्य वार्ड नं0-05 का नहीं है। श्रीमती शकुन्तला देवी, पति-विनोद मोदी का आवेदन पत्र उपायुक्त, कोडरमा के द्वारा दिनांक 09.08.2015 को अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में उल्लेखित है कि मेरे ससुर स्व0 प्रमेश्वर मोदी, पिता दुखन मोदी, ग्राम-हिरोडीह, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा के नाम से लालकार्ड है।

Scanned with CamScanner

मेरे ससुर के मरने के बाद मेरे पति उससे राशन का उठाव किया करते थे किन्तु अनेकों महिनो से राशन डीलर हमलोगों का राशन कार्ड रख लिया है और राशन नही दे रहा है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जयनगर एवं अंचल अधिकारी, जयनगर तथा उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा द्वारा श्री रामेश्वर चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या–15/86, ग्राम पंचायत–हिरोडीह, प्रखण्ड–जयनगर, जिला–कोडरमा की अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब इस प्रकार है:–

समाज के वैसे लोग जो लाभुक सूचि के बाहर हैं, इसके खिलाफ राशन वितरण का शिकायत किये तथा उसके आधार पर मेरा उक्त लाईसेंस नं0–15/1986 निलंबित हुआ और बाद में निलंबन के 90 दिनों के अधिक बाद मेरा दुकान का लाईसेंस अनुमंडल पदाधिकारी (आपूर्ति) कोडरमा द्वारा रद्द किया गया जो गलत वो गैर वैधानिक है। मुझे दिनांक 31.08.15 को कारण पृच्छा किया गया जिसका जवाब में संतुष्टि पूर्वक दिनांक 03.09.15 को दाखिल किया हूँ। पुनः मुझे दिनांक 08.09.15 को मेरा उक्त दुकान निलंबित किया गया और निलंबन के बाद दिनांक 21.12.15 को रद्द किया गया जो नियमानुकूल नहीं है। वास्तव में निलंबन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर ही मेरे उक्त लाईसेंस को रद्द किया जाना चाहिए था जो नहीं हुआ अर्थात् निलंबन के 90 दिनों के बीत जाने के बाद करीब 13–14 दिन अधिक बीतने के बाद मेरे खिलाफ कार्रवाई (रद्द) किया गया जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है एवं सरासर अनुचित है।

सरकारी अधिवक्ताा, कोडरमा का भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा सभी शिकायतकर्त्ता के परिवाद पत्र के आलोक में जॉचोपरान्त श्री रामेश्वर चौधरी की अनुज्ञप्ति संख्या 15/1986 रद्द की गयी है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन करते हुए राशन का वितरण नियमानुसार नहीं किया जा रहा था। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के आदेश को खारीज करने का कोई औचित्य नहीं है। उनके आदेश को बहाल रखा जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न सभी कागजातों एवं प्रतिवेदनों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा का आदेश नियमसंगत है। प्राप्त परिवाद पत्रों की जॉच कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, कोडरमा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जयनगर एवं अंचल अधिकारी, जयनगर से कराई गई है। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा श्री रामेश्वर चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या–15/86, ग्राम पंचायत–हिरोडीह, प्रखण्ड–जयनगर, जिला–कोडरमा की अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है।

अतः अपीलार्थी के आवेदन को खारीज करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के ज्ञापांक 534/आ0 दिनांक 21.12.15, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या–15/1986 को रद्द की गयी है, को यथावत रखा जाता है।

लेखाापित एवं संशोधित

उपायुक्त,कोडरमा। 10/12

उपायुक्त 10/12
कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय
सत्यमेव जयते
कोडरमा

Scanned with CamScanner